

## कार्यालय: जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु (राजस्थान)

क्रमांक: ईए/2025/168

दिनांक: 25.07.2025

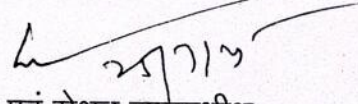
### - नोटिस -

वास्ते: अनुपस्थित न्यायिक कर्मचारीगण,  
चूरु (राजस्थान)

चूरु न्यायक्षेत्र में दिनांक 18.07.2025 से राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियमों की अवहेलना करते हुए स्वैच्छया अविधिक रूप से अनुपस्थित चल रहे कर्मचारीगण को नोटिस देकर लेख है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आपके सामूहिक अवकाश / हड़ताल को, S.B. Criminal Misc. Suspension of Sentence Application (Appeal) No. 1687/2024 अनुवान Iqra @ Ibran v/s State of Rajasthan में पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 के द्वारा अवैध करार दिया गया है।

अतः आप दिनांक 25.07.2025 को अव्वल वक्त पर अपने पदीय कर्तव्यों पर उपस्थित रहे। अन्यथा अस्थायी कार्य व्यवस्था करते हुए परीविक्षाधीन कर्मचारीगण के विरुद्ध नियुक्ति आदेश में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार तथा शेष कर्मचारीगण के विरुद्ध राजस्थान सेवा नियमों/राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत वांछित कार्यवाही अमल में लाते हुए अग्रिम आवश्यक व उचित कार्यवाही हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को सूचित किया जावेगा।

अस्थायी कार्य व्यवस्था के दौरान कोई रिकार्ड / दस्तावेज गुम होने का दायित्व उस कर्मचारी का होगा, जो उस विशेष सीट पर स्थायी रूप से तैनात है तथा जिसे रिकार्ड के रखरखाव का कार्य सौंपा गया है।

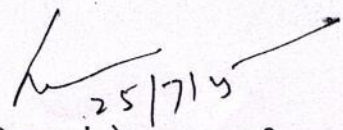
  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
चूरु (राजस्थान)

क्रमांक: ईए/2025/170

दिनांक: 25.07.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त पीठासीन अधिकारीगण, चूरु न्यायक्षेत्र को प्रेषित कर लेख है कि अधीनस्थ अनुपस्थित कर्मचारियों को नोटिस की तामील ईमेल/वाट्सअप व नोटिस बोर्ड पर चस्पांगी के माध्यम से करवाई जावें।
2. अध्यक्ष, राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा चूरु
- ✓ 3. सिस्टम ऑफिसर को प्रतिलिपि जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एवं समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में ईमेल भेजने हेतु प्रेषित है।
4. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली

  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
चूरु (राजस्थान)